सं. 31011/3/2014-स्था. (क-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

दिनांक : 26 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण हेतु हवाई जहाज से यात्रा करने में छूट।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 को शिथिल करते हुए सरकारी सेवकों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार (ए एवं एन) के लिए निम्नलिखित स्कीम के अनुसार हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:-

i. सभी पात्र सरकारी सेवक अपने गृह नगर (होम टाऊन) एलटीसी के एक ब्लॉक का परिवर्तन कर उत्तर-पूर्व क्षेत्र/अंडमान और निकोबार/जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। सीधे भर्ती हुए कर्मचारी भी उनके लिए लागू चार वर्षों के एक ब्लॉक में तीन गृह नगर में से एक को परिवर्तित कर इस लाभ हेतु पात्र हैं।

ii. हवाई जहाज से यात्रा के लिए पात्र सरकारी सेवक अपने मुख्यालय से इकोनोमी श्रेणी में इस एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं।

iii. ऐसे सरकारी सेवक जो हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए हकदार नहीं हैं, को निम्नलिखित क्षेत्रों में हवाई जहाज की इकोनोमी श्रेणी द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाए:

    क. कोलकाता/गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच।
    ख. कोलकाता/चेन्नै/भुवनेश्वर तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच।
    ग. दिल्ली/अमृतसर तथा जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान के बीच।

इन गैर-हकदार कर्मचारियों की अपने मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/भुवनेश्वर/दिल्ली/अमृतसर तक की यात्रा उनके हकदारी के अनुसार की जानी होगी।

iv. हवाई यात्रा केवल एयर इंडिया में इकोनोमी श्रेणी में तथा एलटीसी-80 किराए के अनुसार अथवा कम पर ही की जानी है।

v. गैर-हकदारी अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त मद (iii) में उल्लिखित क्षेत्रों हेतु हवाई यात्रा की अनुमति भारत में किसी भी स्थान के लिए एलटीसी (4 वर्ष ब्लॉक) का लाभ उठाते समय भी होगी।

vi. एलटीसी यात्रा करने के लिए एयर टिकट सीधे एयर लाइन्स (बुकिंग काउंटर, एयर लाइन की वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल - एजेंट्स नामत: मेसर्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूअर्स तथा आईआरसीटीसी (जिस सीमा तक आईआरसीटीसी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार प्राधिकृत किया गया है) की सेवा का प्रयोग करते हुए खरीदे जाने हैं। अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है।

2. ये आदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी रहेंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों को यह संज्ञान में लाने की सलाह दी जाती है कि एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कर्मचारियों के विरूद्ध नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों को हवाई यात्रा के वास्तविक मूल्य तथा पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों पर अंकित मूल्य के संबंध में एयरलाइंस से यादृच्छिक रूप से सत्यापित करवाने की सलाह दी जाती है।

4. भारतीय लेखा परीखा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं

हा0

(बी. बंद्योपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: (011) 23040341

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों।